RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष २, अंक २] शुक्रवार, फेब्रुवारी ५, २०१६/माघ १६, शके १९३७ [पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित २१ जनवरी २०१६।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. II OF 2016.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA CO-OPERATIVE SOCIETIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २ सन् २०१६।

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० में अधिकतर संशोधन करने हेतु, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १९६१ का महा. २४ ।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :—

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ कहलाए। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण ।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

सन् १९६१ का महा. २४ की धारा ७३गक में संशोधन।

२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० की धारा ७३गक में, उप-धारा (३) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. २४।

"(३क) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (संशोधन) अध्यादेश, २०१६ के प्रारम्भण के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय पर या ऐसे प्रारम्भण के पश्चात् किसी भी समय पर भारतीय रिझर्व बँक की अपेक्षा के अनुसार बीमाकृत सहकारी बँक के मामले में, यदि उसकी समिति के अधिक्रमण के लिए आदेश धारा ११०क के अधीन बनाया गया है तब ऐसी समिति का कोई सदस्य, ऐसी बँक की समिति पर पूर्नियुक्त होने, पुर्ननामनिर्देशित होने, पूर्नर्निवाचित होने या पुनःसहयोजित होने के लिए या समिति के अधिक्रमण के आदेश के दिनांक से समिति के दो सत्रों की अवधि के लिए ऐसी बँक या किसी अन्य बँक के समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त होने, नामनिर्देशित होने, निर्वाचित होने या सहयोजित होने हे लिए पात्र नहीं होगा।" सन् २०१६ का महा. अध्या. ।

वक्तव्य।

महाराष्ट्र सहकारिता संस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) राज्य में सहकारिता मुहिम के क्रमबद्ध विकास का उपबंध करता है। उक्त अधिनियम की धारा ११०क, उसमें उल्लिखित परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बँक की मंजूरी या अपेक्षा से समिति के समापन, पुनर्निर्माण, निलंबन या अधिक्रमण, आदि के लिये आदेश बनाने के लिये, उपबंध करती है।

भारतीय रिजर्व बँक, राज्य सरकार को नागरी सहकारी बँक के संपूर्ण हटाये गये निदेशक बोर्ड को कम-से-कम दो सत्रों के लिये संबंधित नागरी सहकारी बँक के निदेशक के रूप में, पुनर्निर्वाचित होने, पुन-सहयोजित होने या पुर्ननामनिर्देशित होने से, अनर्हता को समर्थ करने, जिससे जनता समिति के अधिक्रमण में परिणामित क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति के विरुद्ध संरक्षित हो सकने के लिये उक्त अधिनियम संशोधित करने के लिये कदम उठाने के लिये, लगी हुई है। उक्त अधिनियम की धारा ७३-गक, उसमें विनिर्दिष्ट आधार पर समिति तथा उसके सदस्यों की निरर्हता के लिये उपबंध करती है। जमाकर्ताओ, बँकों तथा राज्य सरकार का ब्याज सुरक्षित करने तथा सहकारीता बँकों में अनियमितताओं की जाँच करने और वसूली सुधारने की दृष्टि से सरकार, इन प्रयोजनों के लिये, उक्त धारा ७३-ग क को यथोचित संशोधित करना इष्टकर समझती हैं। यह उपबंध करने का प्रस्तावित है कि, बीमाकृत सहकारी बँक के मामले में, भारतीय रिजर्व बँक की अपेक्षा के अनुसार, उसकी समिति के अधिक्रमण के लिये आदेश, धारा ११०क के अधीन बनाये गये है तब, प्रस्तावित उपबंध के प्रारंभण के दिनांक से दस वर्षों की अवधि के भीतर, किसी भी समय या ऐसे प्रारंभण के पश्चात्, किसी भी समय पर, ऐसी समिति का कोई सदस्य, ऐसी बँक की समिति पर पुर्नर्नियुक्त होने, पुर्ननामनिर्देशित होने, पुनर्निवाचित होने या पुनःसहयोजित होने के लिये या ऐसी बँक या कोई अन्य बँक की समिति के सदस्य के रूप में, समिति के अधिक्रमण के आदेश के दिनांक से, समिति के दो सत्रों की अवधि के लिये नियुक्त, नामनिर्देशित, निर्वाचित या सहयोजित होने के लिये पात्र होगा।

२. राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र सहकारितासंस्था अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. २४) में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ हैं, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित हुआ है।

मुंबई,
दिनांकित २० जनवरी २०१६।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

प्रभाकर देशमुख,
सरकार के सचिव।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.